

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

पाधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 394] No. 394] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

**आई.बी.बी.आई**./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.038.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 के खंड (ध) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

## अध्याय 1

# प्रारंभिक

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (विनियम जारी करने की प्रक्रिया) विनियम, 2018 है।
  - (2) ये विनियम, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - (3) ये विनियम, बोर्ड द्वारा संगठनात्मक विषयों की बाबत बनाए गए विनियमों को लागू नहीं होंगे।

# 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "सलाहकार समिति" से संहिता की धारा 197 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;
  - (ख) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है; और

6179 GI/2018 (1)

- (ग) "शासी बोर्ड" से संहिता की धारा 189 की उपधारा (1) के अधीन गठित सदस्यों का बोर्ड अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता में हैं।

## अध्याय 2

# विनियमों का तैयार किया जाना

# 3. विनियम तैयार करना

बोर्ड, संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम 4 और विनियम 5 के अनुपालन में विनियम बना सकेगा।

# 4. लोक परामर्श

- (1) बोर्ड, विनियम बनाने के प्रयोजनार्थ, शासी बोर्ड के अनुमोदन से, जनता से टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए, अपनी वैबसाइट पर निम्नलिखित अपलोड करेगा-
  - (क) प्रस्तावित विनियमों का प्रारूप;
  - (ख) संहिता का वह विनिर्दिष्ट उपबंध जिसके अधीन बोर्ड द्वारा विनियम बनाना प्रस्तावित है;
  - (ग) उस समस्या का कथन जिसे प्रस्तावित विनियम द्वारा दूर किए जाने की ईप्सा है;
  - (घ) विनियम 5 के अधीन प्रस्तावित विनियमों का आर्थिक विश्लेषण;
- (ङ) प्रस्तावित विनियम से सुसंगत, अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाले अभिकरणों द्वारा समर्थित और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के मानदंडों, यदि कोई हैं, से संबंधित एक विवरण;
  - (च) प्रस्तावित विनियमों को कार्यान्वित करने की रीति; और
  - (छ) जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने की रीति, प्रक्रिया और समय-सीमा ।
- (2) बोर्ड, जनता को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कम से कम इक्कीस दिन का समय अनुज्ञात करेगा।
- (3) बोर्ड, जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगा और विनियमों की अधिसूचना की तारीख के अपश्चात्, टिप्पणियों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया संबंधी एक साधारण विवरण सहित उन्हें अपनी वैबसाइट पर अपलोड करेगा।
- (4) यदि शासी बोर्ड प्रस्तावित विनियमों का ऐसे रूप में अनुमोदन करने का विनिश्चय करता है जो कि प्रस्तावित विनियमों से सारवान् रूप से भिन्न है तो वह इस विनियम के अधीन प्रक्रिया को दोहराएगा ।
- (5) विनियमों को शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् तुरंत अधिसूचित किया जाएगा और उनके प्रवर्तन की तारीख, जब तक कि उसमें कोई भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट न की गई हो, साधारणतया अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के पश्चात् होगी।
- (6) इस विनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड ऐसे हितधारकों और सलाहकार समितियों से परामर्श कर सकेगा, जो वह विनियम बनाने के लिए उपयुक्त समझे ।

# 5. आर्थिक विश्लेषण

- (1) बोर्ड प्रस्तावित विनियमों का एक आर्थिक विश्लेषण कराएगा।
- (2) आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित बाते आएंगी:-

(क) प्रस्तावित विनियम के कारण समाज, अर्थ-व्यवस्था, हितधारकों और बोर्ड द्वारा प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः, दोनों प्रकार से उपगत होने वाली प्रत्याशित लागत और प्रोद्भूत होने वाले फायदे; और

(ख) प्रस्तावित विनियम संहिता के उद्देश्यों को किस प्रकार आगे सुदृढ़ करेंगे।

## अध्याय 3

# विनियमों का संशोधन और पुनर्विलोकन

# 6. विनियमों का संशोधन

किसी विनियम में कोई संशोधन विनियम 4 और विनियम 5 के अनुपालन करके किया जाएगा।

# 7. विनियमों का पुनर्विलोकन

बोर्ड प्रत्येक विनियम का प्रत्येक तीन वर्षों में पुनर्विलोकन करेगा, जब तक कि इससे पूर्व कोई पुनर्विलोकन आवश्यक न हो और इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी विनियम का संशोधन या निरसन करेगा -

- (क) उसके उद्देश्य;
- (ख) उसके परिणाम;
- (ग) उसके कार्यान्वयन संबंधी अनुभव;
- (घ) उसके प्रवर्तन संबंधी अनुभव और संबद्ध मुकदमेबाजी;
- (ङ) वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां, यदि कोई हैं;
- (च) परिवर्तित परिवेश में उसकी सुसंगति; और
- (छ) कोई अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझा जाए।

# अध्याय 4 प्रकीर्ण

# 8. अत्यावश्यक विनियम

जहां बोर्ड की यह राय है कि कतिपय विनियम अत्यावश्यक रूप से बनाए जाने अपेक्षित हैं या विद्यमान विनियमों में संशोधन करना अपेक्षित है वहां वह विनियम 4 और विनियम 5 के उपबंधों का अनुसरण किए बिना शासी बोर्ड के अनुमोदन से, यथास्थिति, विनियम बना सकेगा या विद्यमान विनियमों में संशोधन कर सकेगा।

# 9. विधि के संबंध में मार्गदर्शन

बोर्ड किसी व्यक्ति के अनुरोध पर या स्वप्नेरणा से स्वयं द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों के साधारण या विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन हेतु एक स्कीम के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए उपबंध कर सकेगा कि ऐसा स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन और उसका अर्थान्वयन तथ्य या विधि संबंधी किसी प्रश्न के अवधारण के रूप में नहीं किया जाएगा।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /315/18]

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2018

**No. IBBI/2018-19/GN/REG038.**—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely:-

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

#### 1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Mechanism for Issuing Regulations) Regulations, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall not apply to regulations made by the Board in respect of organizational matters.

#### 2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Advisory Committee" means an advisory committee constituted by the Board under section 197 of the Code;
  - (b) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016); and
  - (c) "Governing Board" means the Board of Members constituted under sub-section (1) of section 189 of the Code.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

#### **CHAPTER II**

#### MAKING OF REGULATIONS

#### 3. Making regulations

The Board may make regulations to carry out the provisions of the Code in compliance with regulations 4 and 5.

#### 4. Public Consultation

- (1) For the purpose of making regulations, the Board shall upload the following, with the approval of the Governing Board, on its website seeking comments from the public—
  - (a) draft of proposed regulations;
  - (b) the specific provision of the Code under which the Board proposes regulations;
  - (c) a statement of the problem that the proposed regulation seeks to address;
  - (d) an economic analysis of the proposed regulations under regulation 5;
  - (e) a statement carrying norms advocated by international standard setting agencies and the international best practices, if any, relevant to the proposed regulation;
  - (f) the manner of implementation of the proposed regulations; and
  - (g) the manner, process and timelines for receiving comments from the public.
- (2) The Board shall allow at least twenty one days for public to submit their comments.
- (3) The Board shall consider the public comments received and upload the same on its website along with a general statement of its response on the comments, not later than the date of notification of regulations.
- (4) If the Governing Board decides to approve regulations in a form substantially different from the proposed regulations, it shall repeat the process under this regulation.
- (5) The regulations shall be notified promptly after it is approved by the Governing Board and the date of their enforcement shall ordinarily be after thirty days from the date of notification unless a different date is specified therein.
- (6) Without prejudice to provisions in this regulation, the Board may consult stakeholders and advisory committees, as it may consider appropriate for making regulations.

#### 5. Economic Analysis

- (1) The Board shall cause an economic analysis of the proposed regulations to be made.
- (2) The economic analysis shall cover the following:-
  - (a) expected costs to be incurred by, and the benefits that will accrue to, the society, economy, stakeholders and the Board, both directly and indirectly on account of the proposed regulation; and
  - (b) how the proposed regulations further strengthen the objectives of the Code.

#### **CHAPTER III**

#### AMENDMENT AND REVIEW OF REGULATIONS

#### 6. Amendment of Regulations

An amendment to any regulations shall be made in compliance with the provisions of regulations 4 and 5.

## 7. Review of Regulations

The Board shall review each regulation every three years unless a review is warranted earlier and amend or repeal any regulation, keeping in view—

- (a) its objectives;
- (b) its outcome;
- (c) experience of its implementation;
- (d) experience of its enforcement and the related litigation;
- (e) global best practices, if any;
- (f) its relevance in the changed environment; and
- (g) any other factor considered relevant by the Board.

#### **CHAPTER IV**

#### **MISCELLANOUS**

## 8. Urgent regulations

Where the Board is of the opinion that certain regulations are required to be made or existing regulations are required to be amended urgently, it may make regulations or amend the existing regulations, as the case may be, with the approval of Governing Board, without following the provisions of regulations 4 and 5.

## 9. Guidance on law

The Board may provide for a scheme for general or specific clarification or guidance on the provisions of regulations made by it either on a request by a person or on its own, subject to the condition that such clarification or guidance shall not be construed as determination of any question of fact or law.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./315/18]